



शिक्षा का अधिकार

हमें शिक्षा अधिकार
सह यही है।

राज्य शिक्षा केन्द्र

पुस्तक भवन, बी-विंग, ओरो हिल्स, भोपाल—462 011

दृष्टाप : (0755) 2768390, 91, 92, 94, 95 फैक्स : 2552363, 2760561

क्र./पा.पु/रा.शि.के./2021 1782

भोपाल, दिनांक 04/10/2021

प्रति,

- 1. जिला परियोजना समन्वयक समस्त जिले (म.प्र.)
- 2. जिला शिक्षा अधिकारी समस्त जिले (म.प्र.)

विषय:- स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग समाप्त/प्रतिबंधित करने वालत।

सन्दर्भ:- (i) म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय का पत्र क्र./1336/2912/2019/20-2, भोपाल दिनांक 13.09.2021

(ii) म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय का पत्र क्र./1386/1398/2021/20-2, भोपाल दिनांक 17.09.2021

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र अवर सचिव भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के पत्र क्र. F27-14/2019-1 S-9 दिनांक 27.08.2021 के परिपालन में सदर्भित पत्र द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग समाप्त करने एवं प्रतिबंधित करने हेतु विद्यार्थियों को जागरूक करने के उद्देश्य से विद्यालय में शिक्षक, विद्यार्थी एवं समुदाय के लिए कार्य बिन्दु निर्धारित किए गए हैं-

प्राचार्य एवं शिक्षकों के लिए-

- ऑडियो-वीडियो मटेरियल का निर्माण- शिक्षकों द्वारा कार्टन्स, जैसे अलग-अलग किन्दारों का उपयोग करते हुए जल संरक्षण स्वच्छता के उपाय प्लास्टिक जहरीला रसायन आदि विषयों पर 2-3 मिनिट के ऑडियो-वीडियो सामग्री, इलेक्ट्रॉनिक बैनर्स बनाना, वेब पोर्टल पर उपयोग करके विद्यार्थियों के साथ वीडियो पर चर्चा करना एवं उन्हें प्लास्टिक उपयोग के रसायन से परिवर्त करते हुए उसके स्वास्थ्य पर पढ़ने वाले दुष्प्रभावों से अवगत कराना।
- विद्यालय परिसर में प्लास्टिक प्रबंधन- विद्यालयीन परिसर में प्लास्टिक प्रबंधन का इंतजाम, विद्यालय के बाहर धमकती पन्नियों में पेंक सामग्री आदि की खारीदी पर प्रतिबंध लगाने और नकारात्मक प्रभावों को पेटिन्स, पोस्टर में दिखाने, पित्रात्मक, दंड आलेख और पाई डायग्राम से प्रदर्शित करना।
- विद्यालय में डिसप्ले बोर्ड एवं प्लास्टिक कार्नर निर्माण- विद्यालय में सिंगल यूज प्लास्टिक में एक डिसप्ले बोर्ड तैयार करना जिस पर विद्यार्थियों, समुदाय को प्लास्टिक में क्या उपयोग नहीं करना है, तथा किन इंको फैंडली वस्तुओं को अपनाना है। इसके अतिरिक्त एकल उपयोग प्लास्टिक की वस्तुओं को डिसप्ले करने हेतु प्लास्टिक कार्नर का निर्माण करना, जिससे कि सभी व्यक्ति जागरूक हों।
- प्लास्टिक प्रतिबंध के लिए कार्यशालाएँ - स्कूल परिसर में प्लास्टिक प्रतिबंध के लिए कार्यशालाएँ आयोजित करना- Ecofriendly alternatives को बढ़ावा देना।
 - 1) कागज, पेपर के लिफाफे बनाना।
 - 2) पेपर गोमी से कागज के फूल, सजावटी सामग्री तैयार करना।
 - 3) पत्ताल के दोनों थाली का सामान बनाना।
 - 4) जूट के बैग, टोकरियाँ, सजावट की सामग्री तैयार करना।
 - 5) बदनवार रंगीन कागज/पर्सी/फल की मदद से तैयार करना।

- स्कूल कैटीन में प्लास्टिक रोकथाम— स्कूल कैटीन, खाने-पीने की जगहों पर दोने, पत्तल, कागज में खाने की सामग्री परोसने पर जोर देना।
- विद्यार्थियों के व्यवहार में प्लास्टिक उपयोग को रोकने की आदतें पोषित करना।

विद्यार्थियों के लिए—

- विद्यालयों में single use plastic के उन्मूलन हेतु सुझावात्मक गतिविधियाँ सुझाई गई हैं—
- प्लास्टिक प्रतिबंध हेतु शपथ—विद्यार्थियों द्वारा प्लास्टिक पदार्थों के उपयोग न करने पर सुबह की प्रार्थना सभा में शपथ ली जाए।
- प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने और सिंगल यूज प्लास्टिक के उन्मूलन के लिए जागरूकता केमियन चलाना— पोस्टर प्रदर्शन, रथानीय स्ट्रोतों के उपयोग तथा प्लास्टिक रसायनों से बचाव करने हेतु उपाय आदि के माध्यम से।
- प्लास्टिक प्रोडक्ट्स के उपयोग पर रोक— प्लास्टिक के बैग बॉटल्स, प्लास्टिक प्लेट्स— कप, स्ट्रा, चमच, कटलरी, बैनर्स, झाण्डे, प्लास्टिक फूल, थर्माकॉल के सजावटी सामान, प्लास्टिक फोल्डर्स ड्रे।
- निबंध एवं स्लोगन प्रतियोगिता— विद्यार्थियों द्वारा निबंध एवं स्लोगन तैयार करना और उसे विद्यालय के ग्रीन बोर्ड पर प्रदर्शित करना।
- प्रोजेक्ट निर्माण— कक्षा 8 से 8 तक के विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के प्रतिबंधित प्लास्टिक वस्तुओं के चित्र एवं उनके उपयोग से होने वाली हानियों पर प्रोजेक्ट निर्माण कराया जाए जिससे उनमें प्लास्टिक प्रतिबंधित वस्तुओं के उपयोग के प्रति सतर्कता एवं जागरूकता भी सके।

समुदाय के लिए—

- पैकेजिंग सामग्री में बहुस्तरीय पैकिंग (Multilayered packing) के लिए प्लास्टिक का उपयोग न करते हुए बैम्बू पेपर आदि का उपयोग करना।
- शासकीय एवं अशासकीय कार्यों में प्लास्टिक फूल, बैनर्स, झाण्डे, बाटर बॉटल्स, प्लास्टिक फोल्डर, प्लास्टिक ड्रे के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है।
- रुई की सामग्री, लकड़ी की स्टिक्स, आइसक्रीम की लकड़ी स्टिक्स, पेपर स्ट्रॉ आदि के उपयोग को बढ़ावा देना।
- मिठाई के डिब्बे, निमंत्रण कार्ड पर प्लास्टिक की फिल्म को प्रतिबंधित करते हुए बैम्बू पेपर का उपयोग करना।

रिपोर्टिंग—

- प्लास्टिक उन्मूलन के लिए सभी को जिम्मेदार बनाना होगा तथा उसकी रिपोर्टिंग भी भारत शासन को की जानी है। इसके लिए विद्यार्थियों, शिक्षकों के द्वारा ली जाने वाली शपथ, निबंध, पोस्टर निर्माण आदि की फोटोग्राफ्स (कम से कम 5) प्रत्येक जिले को उपलब्ध कराने होंगे तथा निबंध लेखन प्रतियोगिता आयोजित कराने विषयक कार्यवाही के लिए कार्यालय से पूर्व में भी पत्र क्र. 1668-69 / 20.09.2021 को जारी किया गया था, जिसे गौंधी जयंती पर 2 अक्टूबर से 10 अक्टूबर 2021 के मध्य आयोजित किया जाना है तथा संदर्भित पत्र में दिए गिर्दशानुसार प्रत्येक जिले से प्रथम एवं द्वितीय रथान प्राप्त निबंध की प्रति कार्यालय को उपलब्ध करायी जाना सुनिश्चित करें।

शैक्षणिक संस्थानों में डिस्प्ले बोर्ड की व्यवस्था —

- प्लास्टिक उन्मूलन हेतु समस्त शैक्षणिक संस्थानों में शास. शिक्षा महाविद्यालयों, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों, डाइट्स, SISE जबलपुर भूतीश्वर विद्यालय, पूर्व ग्रामीण प्रशिक्षण संस्थान जबलपुर को भी अपनी संस्था में डिस्प्ले बोर्ड को लगाना अनिवार्य होगा तथा D.El.Ed, BEd, MEd प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को भी परिसर में इन वस्तुओं को लाने, उपयोग करने हेतु प्रतिबंधित करना होगा।

उपरोक्त कार्यवाही के लिए कार्यालय से पूर्व में भी पत्र फ़.1668-69 / 20.09.2021 को जारी किया गया था जिसके अनुसार 01 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक उच्चालन के लिए प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जा रहा है। अतः उसका पालन करते हुए उपरोक्त कार्य विन्दुओं पर शीघ्र कार्यवाही आरंभ करें एवं कृत कार्यवाही से अवगत कराएं।

सलमन:- 1. सिंगल यूज प्लास्टिक उच्चालन वर्कप्लान 2021-22।

2. विद्यालयीन डिस्पले बोर्ड का प्रारूप।
3. प्लास्टिक प्रतिबंध शपथ का प्रारूप।

पृ.क्रमांक/राष्ट्रिके/पापु/2021/ ८८३
प्रतिलिपि,

१
(धनराज्य एस.) १०/१०/२०२१
संचालक
राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल
भोपाल, दिनांक ०५/१०/२०२१

1. अपर मुख्य संघिद पर्यावरण विभाग वल्लभ भद्रन की ओर सूचनार्थ।
2. आयुक्त, लोक विकास संचालनालय म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. आर.के.त्रिवेदी, विषेष कर्तव्यरूप अधिकारी म.प्र.शासन रक्षाल विभाग की ओर सूचनार्थ।
4. सुश्री कामना आचार्य, अपर संचालक, लोक विकास, संचालनालय, भोपाल म.प्र. की ओर सूचनार्थ।
5. संमानीय संयुक्त संचालक लोक विकास संमित्त म.प्र. की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. प्राचार्य/संस्था प्रमुख समस्त शास. विभा महाविद्यालय, प्रगति विभा संस्थान की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. प्राचार्य, जिला विभा प्रविधिषण संस्थान, समस्त जिले म.प्र. की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग म.प्र. की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. शासकीय पूर्व प्राथमिक प्रविधिषण संस्थान जबलपुर की ओर तत्काल कार्यवाही बाधत।
10. राज्य विज्ञान विभा संस्थान जबलपुर की ओर पालनार्थ।
11. मनोविज्ञान एवं संदर्भन महाविद्यालय जबलपुर की ओर पालनार्थ।
12. ICT लक्ष की ओर शोर्टल पर अपलोड करने हेतु।

१०/१०/२०२१
संचालक
राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल

सिंगल यूज प्लास्टिक उन्मूलन कार्ययोजना – 2021–22

क्र.	कार्यक्रिया	गतिविधियाँ	सूचकांक/संकेतक	जबाबदेही	समयसीमा
1	जागरूकता	ऑडियो विडियो मटेरियल का निर्माण	1) ऑडियो विडियो कैप्सूल निर्माण 2-3 मिनिट 2) मॉड्यूल निर्माण	पाठ्यक्रम कक्ष / SISE जबलपुर / IASE भोपाल	4 माह अक्टूबर–जनवरी 2022
2	प्लास्टिक प्रबंधन	(1) प्लास्टिक प्रबंधन हेतु कार्य	<ul style="list-style-type: none"> निबंध एवं स्लोगन प्रतियोगिता—विद्यार्थियों द्वारा निबंध एवं स्लोगन तैयार करना और उसे विद्यालय के गीन बोर्ड पर प्रदर्शित करना। प्लास्टिक प्रतिबंध हेतु शपथ—विद्यार्थी एवं शिक्षकों द्वारा प्लास्टिक पदार्थों के उपयोग न करने पर सुधार की प्रार्थना सभा में शपथ लेना। नीले हरे डस्टबीन को विद्यालय परिसर में रखना। पांचीथीन में खाद्य सामग्री का उपयोग निषेध। डिस्प्ले बोर्ड पर प्लास्टिक प्रतिबंधित वस्तुओं की सूची प्रदर्शित करना। (यद्या उपयोग करें/क्या न करें) 	<p>प्राचार्य, शिक्षक, विद्यालयीन स्टॉफ,</p>	<p>गोंधी जयती-2 लालू से 10 अक्टूबर 2021</p>
		(2) प्लास्टिक प्रबंधन हेतु कार्यशाला करना	<ul style="list-style-type: none"> कार्य शालाएँ आयोजित करना। कागज पेपर के लिफाफे बनाना। पेपर गोमी से कागज के पूल, सजावटी सामग्री तैयार करना। पत्तल के दोने, थाली समान बनाना। जूट के बैग, टोकरियाँ सजावटी सामग्री बनाना। दंदनवार, रंगोली, रंगीन कागज के दूकङ्गो से/ पत्ते/फूलों की मदद से तैयार करना। 	प्रधानाध्यापक, शिक्षक (अपने गांव/शहर के विशेषज्ञों के साथ समन्वय करके उन्हें कार्यशालाओं में आमत्रित करें।)	जून–जुलाई 2022

		(3) रसाई घर/किचन रोड/ स्कूल कैटीन	<ul style="list-style-type: none"> खाने का समान रखने में प्लास्टिक का उपयोग रसोई के सामान उपयोग/परीक्षण/दोने पत्तल का उपयोग 	शिक्षक/रसोईया/कैटीन इचार्ज	पूरा सत्र
3	सिंगल यूज प्लास्टिक से परिवहय	स्कूल कार्नर में विभिन्न प्रकार की प्लास्टिक का प्रदर्शन	<ul style="list-style-type: none"> स्कूल कार्नर में विभिन्न प्लास्टिक दस्तुओं का वर्गीकरण— सिंगल यूज, डबल यूज, सिथेटिक प्लास्टिक 	प्राचार्य, शिक्षक	पूरा सत्र
4	प्लास्टिक प्रतिबंध को व्यवहार में लाना	(1) प्रातः/सुबह प्रार्थना समा	<ul style="list-style-type: none"> प्लास्टिक प्रतिबंध पर रूपय चर्चा (शिक्षक द्वारा उद्घोषण) 	शिक्षक, विद्यार्थी, प्राचार्य, पीटीए	जुलाई 2022
		(2) वाद-विवाद प्रतियोगिता <ul style="list-style-type: none"> “प्लास्टिक नुकसानदायक है।” “प्लास्टिक का प्रतिबंध जरूरी है।” 	<ul style="list-style-type: none"> प्रतियोगिता रिपोर्ट तैयार करना एवं फोटोग्राफ्स लेना 	विद्यालय स्तर पर विद्यार्थियों द्वारा	वार्षिकोत्तर 2022
		(3) प्लास्टिक डॉल बैनर के उपयोग को रोकना	<ul style="list-style-type: none"> कागज/कपड़े के बैनर, डॉल का निर्माण, 	प्राचार्य/शिक्षक प्रतिभागी विद्यार्थी	15 अगस्त 2022
		(4) कक्षा सजावट	<ul style="list-style-type: none"> इकोफ्रेंडली दस्तुओं से कक्षा की सजावट प्रतियोगिता 	प्राचार्य/शिक्षक प्रतिभागी विद्यार्थी	बालदिवाल 2022
		(5) रत्नोगन प्रतियोगिता एवं पोटिंग प्रतियोगिता	<ul style="list-style-type: none"> प्लास्टिक प्रतिक्षय हेतु प्रतियोगिता 	प्राचार्य/शिक्षक प्रतिभागी विद्यार्थी	बालदिवाल 2022
5	पीटीए बैठकों में चर्चा एवं उन्मूलन मेकेनिज्म	पालक शिक्षक संघ बैठक में चर्चा	<ul style="list-style-type: none"> चर्चा के बिन्दुओं में प्लास्टिक के उन्मूलन को सम्मिलित करना 	पालकशिक्षकसंघप्रभारी	बैठक (३)
		प्लास्टिक उन्मूलन मेकेनिज्म	<ul style="list-style-type: none"> प्लास्टिक और अन्य बायोडिग्रेडेबल कचरे को कचरा घर तक ले जाने की उचित व्यवस्थाएं करना। ग्राम पंचायत/नगर निगम/नगरपालिका के साथ समन्वय बरतना। 	ग्राम/शहरी स्वच्छता समिति, बाल कैरिनेट, स्वच्छता मंत्री	पूरा सत्र

विद्यालयीन डिसप्ले बोर्ड पर प्रदर्शन

- (A) 1 जनवरी 2022 से निम्नांकित वस्तुएँ प्रतिबंधित की गई हैं, जिसके संबंध में जन जागृति लानी आवश्यक है और उनके विकल्प विकसित किए जाने हैं

प्रतिबंधित सामग्री—	हम यथा कर सकते हैं?
प्लास्टिक स्टिक्कर्युक्त ईयरबूट्स	रुई से ईयर बहूत बनाकर कान की सफाई
गुब्बारों के लिए प्लास्टिक डॉडिया	गुब्बारों को लकड़ी की डॉडियो पर चढ़ाना
प्लास्टिक के झांडे	लकड़ी झड़े पर झड़े चढ़ाना एवं कपड़े के झांडे बनाना
कैडी स्टिक्स	लकड़ी की स्टिक्स
आइसक्रीम की डॉडिया	आइसक्रीम की लकड़ी की चम्मचें, डॉडिया
थर्मोकॉल की सामग्री	कागज, मिट्टी से बनी सामग्री का उपयोग

- (B) 1 जुलाई 2022 से Single Use plastic Elimination से बनी निम्नांकित वस्तुओं को भी प्रतिबंधित करने का प्रावधान किया है—

प्रतिबंधित सामग्री—	उपयोग की जाने वाली सामग्री
प्लास्टिक की प्लेटें	पत्ते के दोने कंले, कागज के कप, गिलास, कंक काटने हेतु मेटल का चाकू, कागज की स्ट्रा, लकड़ी का ट्रे।
प्लास्टिक कप	पैकिंग के लिए कागज, कागज के गत्ते के ढिल्के।
प्लास्टिक गिलास	सूखे फूलों, पत्तों से सजावटी सामान।
प्लास्टिक काटे चम्मच	
प्लास्टिक चाकू	
प्लास्टिक स्ट्रा, ट्रे	
मिठाई के ढिल्के, निमंत्रण कार्ड, रूप से प्लास्टिक की फिल्म,	
प्लास्टिक / PVC 100 माइक्रोन से कम मोटाई के बैनर, प्लास्टिक स्टीकर्स,	कपड़े के बेग, जूट के बेग, स्टील की बौंटल
केरी बेग, प्लास्टिक की पानी की बौंटल, प्लास्टिक की बौंटल के केप, प्लास्टिक के पानी के पाउच, प्लास्टिक के बेग।	
पैकिंग सामग्री	बैम्बू पेपर, अन्य कागज

प्लास्टिक प्रतिबंध शपथ

‘मैं शपथ लेता हूँ कि मैं स्वयं अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए प्लास्टिक के उपयोग के प्रति सजग रहूँगा तथा परिवेश में समस्त सजीवों के लिए भी प्लास्टिक से बचाव के लिए कार्य करूँगा। प्लास्टिक प्रतिबंध के लिए मैं एकल उपयोग की प्लास्टिक की वस्तुओं को न तो खरीदूँगा, न ही उसका उपयोग करूँगा और उसके प्रतिबंध के लिए विद्यालयीन परिसर में कचरा प्रबंधन को अपने व्यवहार में लाऊँगा, उसके लिये समय दूँगा।

सबसे पहले मैं अपने स्वयं से, फिर परिवार से, मोहल्ले से, मेरे गाँव से, मेरे कार्य स्थल से इसकी शुरुआत करूँगा तथा दूसरों को भी प्रेरित करूँगा। मुझे ज्ञात है कि प्लास्टिक प्रतिबंध के लिए मेरी ओर से बढ़ाया गया एक कदम भी पूरे परिवेश के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखेगा और देश को स्वस्थ एवं उन्नत बनाने में सहयोग देगा।

प्लास्टिक प्रतिबंध शपथ

'मैं शपथ लेता हूँ/लेती हूँ कि मैं स्वयं अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए प्लास्टिक के उपयोग के प्रति सजग रहूँगा/रहूँगी तथा परिवेश में समस्त सजीवों के लिए भी प्लास्टिक से बचाव के लिए कार्य करूँगा/करूँगी। प्लास्टिक प्रतिबंध के लिए मैं एकल उपयोग की प्लास्टिक की वस्तुओं को न तो खरीदूँगा/खरीदूँगी, न ही उसका उपयोग करूँगा और उसके प्रतिबंध के लिए विद्यालयीन परिसर में कचरा प्रबंधन को अपने व्यवहार में लाऊँगा/लाऊँगी उसके लिये समय दूँगा/दूँगी।

सबसे पहले मैं अपने स्वयं से, फिर परिवार से, मोहल्ले से, मेरे गाँव से, मेरे कार्य स्थल से इसकी शुरुआत करूँगा/करूँगी तथा दूसरों को भी प्रेरित करूँगा/करूँगी। मुझे ज्ञात है कि प्लास्टिक प्रतिबंध के लिए मेरी ओर से बढ़ाया गया एक कदम भी पूरे परिवेश के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखेगा और देश को स्वस्थ एवं उन्नत बनाने में सहयोग देगा।